

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 45/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी- जी बनाम लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी
37, रीको 4 फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा। अधिकारी (न्याय) एवं अति. जिला
कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 13.07.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 15.06.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 391373 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 20.05.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया। आवेदन द्वारा वांछित सूचना न्याया अनुभाग से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति० जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक न्याय/2021/23682 दिनांक 09.07.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के आवेदन-पत्र से चाही गयी सूचना का नियमानुसार सूचना/जवाब न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/2021/23391 दिनांक 08.06.2021 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं आवेदन से वांछित शेष सूचना पत्रांक न्याय/2021/23671 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाड़ा